राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लॉन ऑफ एक्शन वित्तीय वर्ष 2010–11 का कार्यन्वयन विवरण

1- लोक अदालत

(अ) राज्य के 16 जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की एक–एक खण्डपीठ आयोजित की जा रही है। राज्य के 67 तालुक में जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष पदस्थ हैं उनकी तथा वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की प्रत्येक माह में एक बार एक–एक खण्डपीठ आयोजित की जा रही है। इन स्थानों पर प्रत्येक तीसरे माह वृहद लोक अदालत आयोजित कर उसमें यथासंभव सभी न्यायालयों की खण्डपीठ गठित कर अधिक से अधिक प्रकरणों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर सिविल,दाण्डिक एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

(ब) राज्य के सभी कुटुम्ब न्यायालय, राजस्व न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम सहित विभिन्न न्यायाधिकरण, में विशेष लोक अदालतें नियमित अन्तराल में आयोजित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(स) उच्च न्यायालय स्तर पर नियमित अन्तराल में लोक अदालत आयोजित की जा रही है।

(द) स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) की बैठक नियमित रूप से राज्य के तीन जिलों (बिलासपुर/रायपुर/जगदलपुर) में स्थापित हैं, जहां लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ, जनपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निपटारा किये जाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

(इ) सेवानिवृत्त पश्चात् की परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी निरंतर लोक अदालत स्कीम–2003 के तहत राज्य के तीन जिलों(बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग) में गठित है, तथा दूसरे, तीसरे एवं चतुर्थ रविवार को लोक अदालत का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

(फ) छोटे अपराध, जमानतीय अपराध, राजीनामा योग्य अपराध में निरूद्व विचाराधीन बंदियों के मामलों के निराकरण हेतु जेल में नियमित अन्तराल में लोक अदालत आयोजित की जा रही है ।

2- विधिक जागरूकता कार्यक्रम

(अ) राज्य के 16 जिला मुख्यालय एवं 67 तालुक स्तर पर विभिन्न स्थानों में प्रत्येक माह कम से कम दो विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है।

इन शिविरों के माध्यम से विधिक सेवा हेतु पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करते हुये उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने हेतु हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। समान्य विधिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण प्रकिया से उन्हें इन शिविरों के माध्यम से विधिक रूप से साक्षर/जागरूक किया जा रहा है।

(ब) विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिला विधिक साक्षरता सप्ताह, श्रमिक विधिक साक्षरता सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस एवं बाल श्रम सप्ताह अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

3- **<u>विधिक सहायता एवं सलाह</u>**

(अ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति के माध्यम से सतत् रूप से विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की जा रही है ।

(ब) विधिक सहायता हेतु आबंटित प्रकरणों की प्रगति का उचित रूप से समय–समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

4- **<u>लीगल एड क्लीनिक</u>**

(अ) राज्य के प्रत्येक जिला एवं तालुक स्तर पर गठित लीगल एड क्लीनिक के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गठन का लक्ष्य पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ब) लीगल एड क्लीनिक, में विधिक सहायता हेतु योग्य सदस्यों की नियुक्ति कर उन्हें समय–समय पर उचित सहयोग एवं प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(स) राज्य के सभी विधि महाविद्यालयों एवं जिला व तालुका स्तर पर अधिवक्ता संघ में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना के लक्ष्य प्राप्ति का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

(द) राज्य में गठित समस्त लीगल एड क्लीनिक को कृत्यशील बनाये रखने हेतु हर संभव प्रयास किये जावेगें।

5- **<u>विधिक साक्षरता क्लब /विधिक सहायता क्लब</u>**

(अ) राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सहित ऐसे विद्यालय जहां राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई गठित हैं, वहां विधिक साक्षरता क्लब/विधिक सहायता क्लब गठित कर उन्हें विधिक सेवा कार्यक्रमों के

प्रसार–प्रसार से जोड़ा जाने हेतु सतत् कार्यवाही जारी है। समय–समय पर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कार्यशाला आयोजित की जावेगी ।

(ब) ऐसे प्रत्येक विधिक साक्षरता क्लब/विधिक सहायता क्लब के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें सहयोग प्रदान कर उनकी गतिविधियों का सतत मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(स) विधिक साक्षरता क्लब/विधिक सहायता क्लब का विस्तार सर्व शिक्षा अभियान ईकाई, नेशनल केडेट कोर (एन सी सी), स्काउट गाईड के मध्य भी किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(द) राज्य में गठित समस्त विधिक साक्षरता क्लब/विधिक सहायता क्लब की स्थापना के लक्ष्य को पूर्ण करते हुये उन्हें कृत्यशील बनाये रखने हेतु हर संभव प्रयास किये जावेगें।

6- **स्थानीय स्वायत्त शासन/जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर विधिक सेवा कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार**

छ0ग0 राज्य के समस्त ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पलिका एवं नगरनिगम के निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों की विधिक सेवा में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु, क्षेत्रीय स्तर पर छ0ग0शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग एवं समन्वय के साथ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण सह–कार्यशाला का आयोजन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7- **वैकल्पिक विवाद समाधान विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला**

छ0ग0 राज्य में वैकल्पिक विवाद समाधान विषय के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

8- **विधिक सेवा का प्रचार–प्रसार**

छ0ग0 राज्य में स्थित प्रत्येक पुलिस थाना एवं चौकी सहित जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायतों, अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उचित आकार प्रकार के बोर्ड में विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है, विधिक सेवा के लिये कौन पात्र हैं, एवं अन्य विधिक सेवा से संबंधित जानकारियों को सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किये जाने हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है।

विधि के विभिन्न विषयों सहित विधिक सेवा कार्यक्रमों संबंधी आवश्यक जानकारी के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर, बेनर, बोर्ड, पाम्पलेट, लीफलेट एवं पुस्तिका प्रकाशित कर विभिन्न साक्षरता शिविर एवं कार्यशाला में उसे वितरित किया जा रहा है।

9- **<u>न्याय सदन</u>**

छ0ग0 राज्य के प्रत्येक जिलों में न्याय सदन की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण करते हुये अब तक जिन स्थानों पर न्याय सदन प्रारंभ हो चुका है उनमें नियमित रूप से विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन करते हुये उन्हें पूर्णरूपेण कृत्यशील बनाये जाने हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है।

10- **<u>गैरशासकीय, सामाजिक संगठन एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय</u>**

छ0ग0 राज्य के समस्त गैरशासकीय, सामाजिक संगठन एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें विधिक सेवा कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन, प्रशिक्षण–सह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ऐसे सभी संगठनों द्वारा प्रकाशित साहित्य, स्मारिका, पत्रिका आदि में विधिक सेवा की पात्रता एवं कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्रकाषित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

11- **<u>इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मिडिया के साथ समन्वय</u>**

छ0ग0 राज्य के समस्त इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मिडिया के साथ समन्वय स्थापित कर विधिक सेवा कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से किये जाने हेतु उन्हें प्रेंरित करते हुये जानकारियॅा जन–जन तक पहुॅचाने का प्रयास किया जा रहा है। समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों, कार्यशालाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित किये जाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

12- **<u>विधिक सेवा अधिवक्ताओंकी नियुक्ति,सकि्रयता एवं संवेदनशीलता</u>**

राज्य में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति स्तर पर विधिक सेवा अधिवक्ताओं के पेनल तैयार कर उन्हें विधिक सेवा हेतु सक्रिय एवं संवेदनशील बनाये जाने हेतु समय–समय पर कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया जा रहा है।

13- **<u>विधिक सेवा कार्यक्रमों का मूल्यांकन</u>**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया प्लान ऑफ एक्शन के अनुरूप विधिक सेवा योजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु गठित मूल्यांकन समिति की प्रत्येक माह रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करते हुये योजना को प्रभावी रूप दिये जाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

(ए0 के0 सिंघल)
सदस्य सचिव